उत्तर प्रदेश शासन

परिवहन अनुभाग-2

संख्या -1/20/30-2-14-60एन/73

लखनऊ दिनांक- 13 जनवरी, 2014

अधिसूचना

आदेश

चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक और संमीचीन है।

अतएव अब उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम-1966 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-30 सन् 1966) की धारा-3 की उपधारा-1 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय इस आदेश के प्रकाशन के दिनांक से 06 माह की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम के अधीन समस्त सेवओं में जिन्हें सरकारी अधिसूचना संख्या-5447/30-2-60एन/73, दिनांक 31 अक्टूबर, 1983 द्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अत्यावश्यक सेवाएं घोषित किया गया है, हडताल निषिद्ध करते है ।

2- उक्त धारा की उपधारा-(2) के अधीन राज्पाल महोदय यह भी आदेश देते है कि यह आदेश गजट में प्रकाशित किया जाये।

बी0एस0 भुल्लर

प्रमुख सचिव।

संख्या-20 (1)/30-2-13-60एन/73, तददिनांक ।

प्रतिलिपि अंग्रेजी अनुवाद सहित संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय प्रेस ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को दिनांक-13 जनवरी, 2014 के सरकारी गजट (असाधारण) के विधायी परिशिष्ट भाग-4 (क) में मुद्रित किया जाये तथा इसकी 25 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-2 के उपयोगार्थ भेजी जायें।

आज्ञा से,

नर्वेद सिंह

संयुक्त सचिव।

संख्या-20 (2)/30-2-13-60एन/73, तददिनाकं ।

1- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सडक परिवहन निगम लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया समस्त मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों उ0प्र0 को निगम स्तर से भिजवाने का कष्ट करें।
2- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ
4- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

नर्वेद सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

UTTAR PRADESH SHASAN
PARIVAHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provision of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased of to order the publication of the following English translation of Notification No-20/XXX-2/2014-60N/73, Dated 13 January, 2014

NOTIFICATION
No-20/XXX-2-2014-60N/73
Lucknow Dated : 13 January, 2014

WHERE AS, the state Government is satisfied that in public interest it is necessary and expedient so to do.

NOW THEREFORE, in exercise of the power under sub-section (I) of section 3 of the Uttar Pradesh Essential Services Maintenance Act, 1966 (U.P. Act No-XXX of 1966) the governor is pleased to order that during a period of six months from the date of publication of the order strikes are prohibited in the services under the Uttar Pradesh State Road Transport Corporation, Which have been declared as essential services for the purpose of said Act by Government Notification No-5447/XXX-2-60N/73, dated October 31, 1983

2- Under sub-section (2) of the said section, the governor is further pleased to direct that this order shall be published in the Gazette.

By Order,

B.S Bhullar
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in